

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0-01/अ0प्र0-01-14/2024

269

पटना, दिनांक:- 20.5.25

श्रीमती प्रिया कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-20.02.2024 से 06.03.2024 तक की कार्य रहित अवधि का असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम 220 के प्रावधानानुसार प्रथम संतानोत्पत्ति के कारण दिनांक-13.03.2024 से 08.09.2024 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-01/ अ0प्र0-01-14/2024

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, पटना निर्माण भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-01/ अ0प्र0-01-14/2024

5381

पटना, दिनांक:- 20.5.25

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/अवर सचिव (लेखा) दो प्रतियों में/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/श्रीमती प्रिया कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव